

(Published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary)  
Government of India  
Ministry of Chemicals and Fertilizers  
Department of Pharmaceuticals  
National Pharmaceutical Pricing Authority

New Delhi, 2<sup>nd</sup> February, 2024

**ADDENDUM**

S.O. 425(E): -The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1570(E) dated 31<sup>st</sup> March 2023 and addendum issued vide S.O. 4888(E) dated 10<sup>th</sup> November, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of Ringer lactate injection in pack having special features is henceforth to be read with the following additions:

(1) Sl. No. 19 shall be added in Table 'B' as below:

Sl. No.	Name of Manufacturer
(1)	(2)
19.	M/s Promea Therapeutics Pvt. Ltd.

(2) Clause (d2) is added after clause (d1) & shall be read as follows:

“(d2) In case of M/s Promea Therapeutics Pvt. Ltd. mentioned in Sl. No. 19 of Table B, only the prices of the formulations specified in Sl. No. 3 of Table A are applicable.”

PN/252/120/2024/F

F. No. 8(120)/2024/D.P./NPPA-Div.-II

(Mahaveer Saini)  
Deputy Director

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

नई दिल्ली, तारीख: 2 फरवरी 2024

परिशिष्ट

का. आ. 425(अ):- भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 31 मार्च 2023 के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं 1570(अ) और दिनांक 10 नवम्बर 2023 को जारी किया गया परिशिष्ट का.आ. 4888(अ), जोकि विशेष सुविधाओं वाले पैक में रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन के अनुसूचित फॉर्म्यूलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है, को अब से निम्नलिखित जोड़कर पढ़ा जाएगा:

(1) क्र. संख्या 19 को तालिका 'बी' में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम
(1)	(2)
19.	मैसर्स प्रोमिया थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

(2) खंड (घ2) को खंड (घ1) के बाद जोड़ा गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"(घ2) तालिका बी की क्रमांक संख्या 19 में उल्लिखित मैसर्स प्रोमिया थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड के मामले में केवल फॉर्म्यूलेशन की कीमतें तालिका ए की क्रमांक संख्या 3 पर लागू हैं।

पी.एन./252/120/2024/एफ

फा. सं. 8(120)/2024/डीपी/एनपीपीए-डीवी-II

(महावीर सैनी)

उप निदेशक